HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Second Appeal No. 187/2026

Rajasthan Housing Board

----Appellant

Versus

Smt. Lajwanti W/o Shri Gopraja,

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Ajay Shukla Mr. Shriram Sharma
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

05/05/2026

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि प्रत्यर्थी का प्लॉट संख्या 167 को अवाप्त किया गया है। जो भूमि अवाप्त की गई थी उसकी मुआवजा राशि 12,26,503 रूपये/— खातेदारों को देने हेतु दिनांक 29.09.2006 को विभाग के पत्र द्वारा सचिव, राजस्थान आवास मण्डल, जयपुर को प्रेषित की जा चुकी है। अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में यदि कोई भी विवाद है तो सिविल न्यायालय को ऐसे प्रकरणों को सुनने का अधिकार नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश ***The Commissioner, Banglore Development Authority & another V Brijesh Reddy & another*** *2013 Supreme (SC) 131 तथा* ***Shiv Kumar & another V Union of India & Ors.*** *2019 0 AIR(SC) 5374* में भी ऐसा मत उल्लेखित किया गया है। विद्वान निष्पादन न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में निष्पादन की कार्यवाही जारी है और आदेश 21 नियम 30 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वारंट कुर्की जारी किया गया है। कार्यवाही सम्पादित कर दी गई है।

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय अपील विचारणीय प्रतीत होती है। अतः आगामी तारीख पेशी तक विद्वान निष्पादन न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 49/2025 में अग्रिम कार्यवाही स्थगित रखी जावे।

RAJASTHAN HIGH COURT

प्रत्यर्थीगण के उपस्थित होने पर स्थगन के संबंध में उन्हें नये सिरे से सुनकर आदेश पारित किया जाएगा। प्रत्यर्थीगण को आदेश की तामील सुनिश्चित की जावे।

प्रत्यर्थीगण को नोटिस नियमानुसार जारी किया जावे।

प्रकरण एक सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

BISRAT ALI /72